

पत्र व्यवहार "कुलसचिव" को संबोधित किया जाये किसी अधिकारी के व्यक्तिगत नाम से नहीं। पूर्व सन्दर्भ यदि हो तो, देना आवश्यक है अन्यथा कोई कार्यवाही संभव नहीं होगी।

दूरभाष : 2527532
तार : युनिवर्सिटी
फेक्स : 0731-529540



देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

विश्वविद्यालय भवन
इन्दौर - 452 001
दिनांक :

क्र. शैक्षणिक/सम्बद्धता/2025/1400
प्रति,

25 JUN 2025

प्राचार्य/संचालक,
आई.पी.एस. एकेडमी,
इंस्टिट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट एण्ड रिसर्च.,
ग्राम बडोदिया खां, सांवेर, जिला इन्दौर (म.प्र.)

विषय:- महाविद्यालय को विभिन्न पाठ्यक्रमों की अस्थाई सम्बद्धता निरन्तरता शैक्षणिक सत्र 2024-25 एवं 2025-26 के लिये प्रदान करने विषयक।

सन्दर्भ:- आपका पत्र क्र. आई.पी.एस./2025/340 दिनांक 20/03/2025 एवं पत्र दिनांक 17/06/2025

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके आवेदन के संदर्भ में विद्या परिषद् की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 02/05/2025 एवं कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 09/05/2025 में लिये गये निर्णयानुसार महाविद्यालय की शैक्षणिक सत्र 2024-25 एवं 2025-26 में निम्नानुसार पाठ्यक्रमों की सशर्त अस्थाई सम्बद्धता निरन्तरता जारी है:-

क्र	महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रम का नाम	सीट संख्या	सत्र
1	बी.बी.ए.	60	2024-25 एवं 2025-26
2	बी.कॉम.	60	2024-25 एवं 2025-26
3	एम.बी.ए. (फूल टाईम)	150	2025-26

निर्देश:-

1. ए.आई.सी.टी.ई. नई दिल्ली के मापदण्डों का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जावे।
2. राज्य शासन के निर्देशानुसार एवं प्रवेश नियमावली के अनुसार प्रवेश संबंधी कार्यवाही का पूर्ण पालन किया जावे।
3. महाविद्यालय के आकस्मिक निरीक्षण में यदि पाया जाता है कि यू.जी.सी./ए.आई.सी.टी.ई. मापदण्ड अनुरूप छात्र संख्या अनुसार शिक्षकों की नियुक्ति परिनियम 28 के अन्तर्गत नहीं की गई है तो सम्बद्धता समाप्ति की कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व महाविद्यालय/संस्था का होगा।
4. विश्वविद्यालय परिनियम क्रं. 27 एवं 28 का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जावे।
5. महाविद्यालय ऑल इण्डिया सर्वे आन हायर एजुकेशन aishe.gov.in के पोर्टल पर महाविद्यालय से संबंधित सभी जानकारी आवश्यक रूप से अपलोड करें।
6. सुरक्षा की दृष्टि से महाविद्यालय का सम्पूर्ण परिसर CCTV कैमरों की निगरानी में हो तथा निर्धारित संख्या में मान्यता प्राप्त सुरक्षा एजेंसी के सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की जाना सुनिश्चित करें।

आदेशानुसार,

कुलसचिव

पृ.क्र.शैक्षणिक/सम्बद्धता/2025/1400
प्रतिलिपि:-

दिनांक : 25 JUN 2025

1. उपकुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय/प्रशासन) दे.अ.वि.वि. इन्दौर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. प्रभारी, एम.पी.ऑनलाईन, दे.अ.वि.वि. इन्दौर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

निदेशक,

महाविद्यालय विकास परिषद



देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

विश्वविद्यालय भवन
इन्दौर - 452 001

दिनांक 07 APR 2025

क्र. शैक्षणिक/सम्बद्धता/2025/785
प्रति,

✓ प्रचार्य/संचालक,
आई.पी.एस. एकेडमी, इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेन्ट एण्ड रिसर्च,
ग्राम खान बड़ोदिया, इन्दौर-उज्जैन रोड़, सांवेर
जिला-इन्दौर।

विषय:- महाविद्यालय को विभिन्न एम.बी.ए. पाठ्यक्रमों की अस्थाई सम्बद्धता का नवीनीकरण शैक्षणिक सत्र 2024-25 में प्रदान करने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत महाविद्यालय के निरीक्षण प्रतिवेदन के संदर्भ में विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 11/02/2025 एवं कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 04/03/2025 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया है :-

क्र.	पाठ्यक्रम	सत्र	निर्णय
1	एम.बी.ए. (फूलटाईम)	2024-25	150 सीट हेतु सशर्त अस्थाई सम्बद्धता का नवीनीकरण प्रदान किया जाता है।
2	एम.बी.ए. (फायनेन्सियल एडमिनिस्ट्रेशन)	2024-25	30 सीट हेतु सशर्त अस्थाई सम्बद्धता का नवीनीकरण प्रदान किया जाता है।
3	एम.बी.ए. (मार्केटिंग मैनेजमेन्ट)	2024-25	30 सीट हेतु सशर्त अस्थाई सम्बद्धता का नवीनीकरण प्रदान किया जाता है।

शर्त:-

1. ए.आई.सी.टी.ई., नई दिल्ली के मापदण्डों का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जावे।
 2. विश्वविद्यालय परिनियम क्र. 27 का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जावे।
 3. महाविद्यालय ऑल इण्डिया सर्वे आन हायर एज्युकेशन aishe.gov.in के पोर्टल पर महाविद्यालय से संबंधित सभी जानकारी आवश्यक रूप से अपलोड करें।
- निर्देश:- सुरक्षा की दृष्टि से महाविद्यालय का सम्पूर्ण परिसर CCTV कैमरों की निगरानी में हो तथा निर्धारित संख्या में मान्यता प्राप्त सुरक्षा एजेंसी के सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की जाना सुनिश्चित करें।

आदेशानुसार

कुलसचिव

क्र. शैक्षणिक/सम्बद्धता/2025/785
प्रतिलिपि :-

दिनांक

07 APR 2025

1. उप-कुलसचिव, परीक्षा/गोपनीय/प्रशासन की ओर सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
2. प्रभारी, एम.पी.ऑनलाईन, दे.अ.वि.वि., इन्दौर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

निदेशक,

महाविद्यालय विकास परिषद



देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

विश्वविद्यालय भवन
इन्दौर - 452 001

क्र. शैक्षणिक/सम्बद्धता/2023/2512

प्रति,

प्राचार्य/संचालक,

आई.पी.एस. एकेडमी, आई.बी.एम.आर., सांवेर केम्पस,
सांवेर, जिला इन्दौर (म.प्र.)

दिनांक :
21 NOV 2023

विषय:- महाविद्यालय को विभिन्न पाठ्यक्रमों की अस्थाई सम्बद्धता निरन्तरता शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिये प्रदान करने विषयक।

सन्दर्भ आपका पत्र क्र. आई.पी.पी.एस.ए.सांवेर/2023/102 दिनांक 15/02/2023

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके आवेदन के संदर्भ में विद्या परिषद् की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 06/04/2023 एवं कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 11/04/2023 में लिये गये निर्णयानुसार महाविद्यालय की शैक्षणिक सत्र 2023-24 में निम्नानुसार पाठ्यक्रमों की सशर्त अस्थाई सम्बद्धता निरन्तरता जारी है:-

क्र.	महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रम का नाम	सीट संख्या
1	एम.बी.ए. (फूल टाईम)	150
2	एम.बी.ए. (मार्केटिंग मैनेजमेन्ट)	30
3	एम.बी.ए. (फाईनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन)	30
4	बी.बी.ए.	60
5	बी.बी.ए. फॉरेन ट्रेड	60
6	बी.कॉम.	60
7	बी.कॉम. (कम्प्यूटर एप्लीकेशन अति. विषय के साथ)	60
8	बी.कॉम. (ऑनर्स)	60
9	बी.कॉम. (टैक्स प्रोसिजर एण्ड प्रेक्टिस)	60

निर्देश:-

1. ए.आई.सी.टी.ई. के मापदण्डों का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जावे।
2. राज्य शासन के निर्देशानुसार एवं प्रवेश नियमावली के अनुसार प्रवेश संबंधी कार्यवाही का पूर्ण पालन किया जावे।
3. महाविद्यालय के आकस्मिक निरीक्षण में यदि पाया जाता है कि ए.आई.सी.टी.ई./यू.जी.सी. मापदण्ड अनुरूप छात्र संख्या अनुसार शिक्षकों की नियुक्ति परिनियम 28 के अन्तर्गत नहीं की गई है तो सम्बद्धता समाप्ति की कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व महाविद्यालय/संस्था का होगा।
4. विश्वविद्यालय परिनियम क्र.27 एवं 28 का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जावे।
5. महाविद्यालय ऑल इण्डिया सर्वे आन हायर एज्युकेशन aishe.gov.in के पोर्टल पर महाविद्यालय से संबंधित सभी जानकारी आवश्यक रूप से अपलोड करें।
6. सुरक्षा की दृष्टि से महाविद्यालय का सम्पूर्ण परिसर CCTV कैमरों की निगरानी में हो तथा निर्धारित संख्या में मान्यता प्राप्त सुरक्षा एजेंसी के सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की जाना सुनिश्चित करें।

आदेशानुसार,


कुलसचिव

क्र. शैक्षणिक/सम्बद्धता/2023/2512

प्रति,

दिनांक :
21 NOV 2023

मुख्य सचिव (परीक्षा/गोपनीय/प्रशासन) दे.अ.वि.वि. इन्दौर की ओर सूचनार्थ।

मुख्य सचिव (ऑनलाइन) दे.अ.वि.वि. इन्दौर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

समस्त पत्र व्यवहार "कुलसचिव" को संबोधित किया जाये किसी अधिकारी के व्यक्तिगत नाम से नहीं। पूर्व सन्दर्भ यदि हो तो, देना आवश्यक है अन्यथा कोई कार्यवाही संभव नहीं होगी।



देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

दूरभाष : 2527532
तार : युनिवर्सिटी
फैक्स : 0731-529540

विश्वविद्यालय भवन
इन्दौर - 452 001

दिनांक

23 MAY 2023

क. शैक्षणिक/सम्बद्धता/2023/832
प्रति,

प्राचार्य/संचालक,
आई.पी.एस. एकेडमी, आई.बी.एम.आर.,
सांवेर, जिला-इन्दौर (म.प्र.)

विषय:-महाविद्यालय को बी.सी.ए. प्रथम वर्ष (60 सीट) की अस्थाई सम्बद्धता शैक्षणिक सत्र 2023-24 में प्रदान करने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत आपके आवेदन के संदर्भ में विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 06/04/2023 एवं कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 11/04/2023 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया है :-

क्र.	पाठ्यक्रम	सत्र	निर्णय
1	बी.सी.ए. प्रथम वर्ष	2023-24	60 छात्रों के प्रवेश हेतु सशर्त अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की जाती है।

शर्त:-

1. Procurement of 300 text/refence books as per NEP syllabus.
 2. महाविद्यालय द्वारा कम्प्युटर विषय में 2 शिक्षकों की नियुक्ति कॉलेज कोड-28 में 3 माह में तथा निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित अन्य शर्तों की पूर्ति 1 माह में करने की शर्त पर बी.सी.ए. प्रथम वर्ष (60 सीट) की अस्थाई सम्बद्धता शैक्षणिक सत्र 2023-24 में प्रदान की जाती है।
 3. महाविद्यालय द्वारा उपरोक्तानुसार शर्तों की पूर्ति कर सत्यापित पालन प्रतिवेदन विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करने पर ही सत्र 2024-25 में विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों के प्रवेश की अनुमति एवं अस्थाई सम्बद्धता/नवीनीकरण प्रदान किया जाएगा।
 4. विश्वविद्यालय परिनियम क्र. 27 एवं 28 का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जावे।
 5. महाविद्यालय ऑल इण्डिया सर्वे आन हायर एज्युकेशन aishe.gov.in के पोर्टल पर महाविद्यालय से संबंधित सभी जानकारी आवश्यक रूप से अपलोड करें।
- निर्देश:-सुरक्षा की दृष्टि से महाविद्यालय का सम्पूर्ण परिसर CCTV कैमरों की निगरानी में हो तथा निर्धारित संख्या में मान्यता प्राप्त सुरक्षा एजेंसी के सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की जाना सुनिश्चित करें।

आदेशानुसार

कुलसचिव

दिनांक

23 MAY 2023

क. शैक्षणिक/सम्बद्धता/2023/832
प्रतिलिपि :-

1. उप-कुलसचिव, परीक्षा/गोपनीय/प्रशासन की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
2. प्रभारी, एम.पी.ऑनलाईन, दे.अ.वि.वि., इन्दौर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

उपकुलसचिव(शैक्ष.)

पत्र व्यवहार "कुलसचिव" को संबोधित किया जाये किसी अधिकारी के व्यक्तिगत नाम से नहीं। पूर्व सन्दर्भ यदि हो तो, देना आवश्यक है अन्यथा कोई कार्यवाही संभव नहीं होगी।

दूरभाष : 2527532
तार : युनिक्सिटी
फैक्स : 0731-529540



देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

विश्वविद्यालय भवन
इन्दौर - 452 001

दिनांक 22 AUG 2022

क्र. शैक्षणिक/सम्बद्धता/2022/1849
प्रति,

प्रचार्य/संचालक,

आई.पी.एस. एकेडमी, आई.बी.एम.आर., सांवेर केम्पस,
सांवेर, जिला इन्दौर (म.प्र.)

विषय:- महाविद्यालय को विभिन्न पाठ्यक्रमों की अस्थाई सम्बद्धता निरन्तरता शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिये प्रदान करने विषयक।

सन्दर्भ: आपका पत्र क्र IBMR/SANWER/2022/045 दिनांक 12/07/2022

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके आवेदन के संदर्भ में विद्या परिषद् की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 20/04/2022 एवं कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 29/04/2022 में लिये गये निर्णयानुसार महाविद्यालय की शैक्षणिक सत्र 2022-23 में निम्नानुसार पाठ्यक्रमों की सशर्त अस्थाई सम्बद्धता निरन्तरता जारी है:-

क्र.	महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रम का नाम	सीट संख्या
1	एम.बी.ए. (फूल टाईम)	180
2	एम.बी.ए. (मार्केटिंग मैनेजमेन्ट)	60
3	एम.बी.ए. (फाईनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन)	60
4	बी.बी.ए.	60
5	बी.बी.ए. फॉरेन ट्रेड	60
6	बी.कॉम.	60
7	बी.कॉम. (कम्प्युटर एप्लीकेशन अति. विषय के साथ)	60
8	बी.कॉम. (ऑनर्स)	60
9	बी.कॉम. (टैक्स प्रोसिजर एण्ड प्रेक्टिस)	60

शर्त:-

- राज्य शासन के निर्देशानुसार एवं प्रवेश नियमावली के अनुसार प्रवेश संबंधी कार्यवाही का पूर्ण पालन किया जावे।
- परीक्षा कार्य में असहयोग करने वाले महाविद्यालयों को आगामी सत्र में निरन्तरता/नवीनीकरण करने पर विचार नहीं किया जायेगा।
- ए.आई.सी.टी.ई. नई दिल्ली के मापदण्डों का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जावे।
- महाविद्यालय के आकस्मिक निरीक्षण में यदि पाया जाता है कि ए.आई.सी.टी.ई./यू.जी.सी. मापदण्ड अनुरूप छात्र संख्या अनुसार शिक्षकों की नियुक्ति परिनियम 28 के अन्तर्गत नहीं की गई है तो सम्बद्धता समाप्ति की कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व महाविद्यालय/संस्था का होगा।
- विश्वविद्यालय परिनियम क्र.27 एवं 28 का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जावे।
- महाविद्यालय ऑल इण्डिया सर्वे आन हायर एज्युकेशन alshe.gov.in के पोर्टल पर महाविद्यालय से संबंधित सभी जानकारी आवश्यक रूप से अपलोड करें।
- महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना स्वपोषित इकाई अनिवार्यतः रूप से प्रारंभ की जावे। राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के सुचारु रूप से संचालन हेतु रुपये 10/-प्रतिमाह प्रति विद्यार्थी के मान से शुल्क लिया जा सकता है।

आदेशानुसार,

कुलसचिव

दिनांक : 22 AUG 2022

पृ.क्र. शैक्षणिक/सम्बद्धता/2022/1849
प्रतिलिपि:-

- उपकुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय/प्रशासन) दे.अ.वि.वि. इन्दौर की ओर सूचनार्थ।

उपकुलसचिव(शैक्ष.)

पत्र व्यवहार "कुलसचिव" को संबोधित किया जाये किसी अधिकारी के व्यक्तिगत नाम से नहीं। पूर्व सन्दर्भ यदि हो तो, देना आवश्यक है अन्यथा कोई कार्यवाही संभव नहीं होगी।

दूरभाष : 2527532
तार : युनिवर्सिटी
फैक्स: 0731-529540



देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

विश्वविद्यालय भवन
इन्दौर - 452 001

दिनांक : 12 JUL 2021

क्र. शैक्षणिक/सम्बद्धता/2021/1605

प्रति,

प्राचार्य/संचालक,

आई.पी.एस. एकेडमी, आई.बी.एम.आर.
ग्राम बडोदिया खान, इन्दौर-उज्जैन रोड,
सांवेर, जिला-इन्दौर (म.प्र.)

विषय:- महाविद्यालय को विभिन्न पाठ्यक्रमों की अस्थाई सम्बद्धता निरन्तरता शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिये प्रदान करने विषयक।

सन्दर्भ: आपका पत्र क्र. 2002/IPSA/IBMR/Sanwer/2021/121 दिनांक 04/03/2021

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार संदर्भित पत्र के संबंध में लेख्य है कि आपके द्वारा शैक्षणिक सत्र 2021-22 में निम्नांकित पाठ्यक्रमों की अस्थाई सम्बद्धता निरन्तरता शुल्क जी.एस.टी. सहित राशि रुपये 3,18,600/- एम.पी.ऑनलाइन आई.डी. क्र. 21022539110644073675 दिनांक 04/03/2021 के द्वारा विश्वविद्यालय में जमा किये हैं।

क्र	महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रम का नाम	सीट संख्या
1	एम.बी.ए. (फूल टाईम)	180
2	एम.बी.ए. (एम.एम)	60

अतः उपरोक्तानुसार पाठ्यक्रम की शैक्षणिक सत्र 2021-22 में सशर्त अस्थाई सम्बद्धता निरन्तरता जारी है।

शर्तें:-

1. ए.आई.सी.टी.ई. नई दिल्ली के मापदण्डों का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जावे।
2. विश्वविद्यालय परिनियम क्रं.27 एवं 28 का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जावे।
3. परीक्षा कार्य में असहयोग करने वाले महाविद्यालयों को आगामी सत्र में निरन्तरता/नवीनीकरण करने पर विचार नहीं किया जायेगा।
4. महाविद्यालय के आकस्मिक निरीक्षण में यदि पाया जाता है कि यू.जी.सी. मापदण्ड अनुरूप छात्र संख्या अनुसार शिक्षकों की नियुक्ति परिनियम 28 के अन्तर्गत नहीं की गई है तो सम्बद्धता समाप्ति की कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व महाविद्यालय/संस्था का होगा।
5. महाविद्यालय ऑल इण्डिया सर्वे आन हायर एज्युकेशन aishe.gov.in के पोर्टल पर महाविद्यालय से संबंधित सभी जानकारी आवश्यक रूप से अपलोड करें।
6. महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना स्वपोषित इकाई अनिवार्यतः रूप से प्रारंभ की जावे। राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के सुचारु रूप से संचालन हेतु रुपये 10/- प्रतिमाह प्रति विद्यार्थी के मान से शुल्क लिया जा सकता है।

आदेशानुसार,

कुलसचिव

पृ.क्र.शैक्षणिक/सम्बद्धता/2021/

प्रतिलिपि:-

दिनांक : 12 JUL 2021

1. उपकुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय/प्रशासन) दे.अ.वि.वि. इन्दौर की ओर सूचनार्थ।
2. निदेशक, महाविद्यालयीन विकास परिषद्, दे.अ.वि.वि. की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

उप-कुलसचिव(शैक्ष.)

समस्त पत्र व्यवहार "कुलसचिव" को संबोधित किया जाये किसी अधिकारी के व्यक्तिगत नाम से नहीं। पूर्व सन्दर्भ यदि हो तो, देना आवश्यक है अन्यथा कोई कार्यवाही संभव नहीं होगी।

दूरभाष : 2527532
तार : युनिवर्सिटी
फैक्स : 0731-529540



देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

विश्वविद्यालय भवन
इन्दौर - 452 001

क. शैक्षणिक/सम्बद्धता/2023/832
प्रति,

दिनांक

23 MAY 2023

प्राचार्य/संचालक,
आई.पी.एस. एकेडमी, आई.बी.एम.आर.,
सांवेर, जिला-इन्दौर (म.प्र.)

विषय:-महाविद्यालय को बी.सी.ए. प्रथम वर्ष (60 सीट) की अस्थाई सम्बद्धता शैक्षणिक सत्र 2023-24 में प्रदान करने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत आपके आवेदन के संदर्भ में विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 06/04/2023 एवं कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 11/04/2023 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया है :-

क्र.	पाठ्यक्रम	सत्र	निर्णय
1	बी.सी.ए. प्रथम वर्ष	2023-24	60 छात्रों के प्रवेश हेतु सशर्त अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की जाती है।

शर्त:-

1. Procurement of 300 text/refence books as per NEP syllabus.
2. महाविद्यालय द्वारा कम्प्युटर विषय में 2 शिक्षकों की नियुक्ति कॉलेज कोड-28 में 3 माह में तथा निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित अन्य शर्तों की पूर्ति 1 माह में करने की शर्त पर बी.सी.ए. प्रथम वर्ष (60 सीट) की अस्थाई सम्बद्धता शैक्षणिक सत्र 2023-24 में प्रदान की जाती है।
3. महाविद्यालय द्वारा उपरोक्तानुसार शर्तों की पूर्ति कर सत्यापित पालन प्रतिवेदन विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करने पर ही सत्र 2024-25 में विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों के प्रवेश की अनुमति एवं अस्थाई सम्बद्धता/नवीनीकरण प्रदान किया जाएगा।
4. विश्वविद्यालय परिनियम क्र. 27 एवं 28 का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जावे।
5. महाविद्यालय ऑल इण्डिया सर्वे आन हायर एज्युकेशन aishe.gov.in के पोर्टल पर महाविद्यालय से संबंधित सभी जानकारी आवश्यक रूप से अपलोड करें।

निर्देश:-सुरक्षा की दृष्टि से महाविद्यालय का सम्पूर्ण परिसर CCTV कैमरों की निगरानी में हो तथा निर्धारित संख्या में मान्यता प्राप्त सुरक्षा एजेंसी के सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की जाना सुनिश्चित करें।

आदेशानुसार

कुलसचिव

दिनांक

23 MAY 2023

क. शैक्षणिक/सम्बद्धता/2023/832
प्रतिलिपि :-

1. उप-कुलसचिव, परीक्षा/गोपनीय/प्रशासन की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
2. प्रभारी, एम.पी.ऑनलाईन, दे.अ.वि.वि., इन्दौर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

उपकुलसचिव(शैक्ष.)